



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 162328

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26907 / 2026

रईस अहमद उर्फ फौजी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : मनीष कुमार कश्यप, वीरेंद्र पाल सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.पी. सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को विचारण लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 153 / 2025, धारा 61(2), 64(1), 103(1), 238, 123, 315 भारतीय न्याय संहिता, थाना सुन्नगढ़ी, जनपद कासगंज में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका की माता द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 80, 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतका की दहेज हत्या उसके पति, ससुराल वालों अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण की गई थी। किंतु जांच के दौरान मृतका की माता अर्थात् सूचनाकर्ता को ही अभियुक्त बना दिया गया और जब उसका बयान दर्ज किया गया, तब उसने विवेचक के समक्ष बताया कि वह चाहती थी कि मृतका अपने पति से तलाक ले ले, किंतु जब मृतका इसके लिए तैयार नहीं हुई, तब उसने मृतका की हत्या करने के लिए मृतका के बहनोई के पिता अर्थात् अपने समधी, जो वर्तमान आवेदक है, के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। इसके बाद आवेदक मृतका को अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। मृतका की माता अर्थात् सह-अभियुक्त यासमीन के बयान के बाद आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त के बयान तथा पुलिस के समक्ष आवेदक के कथित इकबालिया बयान के अतिरिक्त, अभियोजन के अनुसार आवेदक के घर से मृतका के कुछ आभूषण भी बरामद किए गए थे, किंतु उक्त संपूर्ण बरामदगी झूठी तथा आरोपित रूप से तैयार की गई है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में केवल उपर्युक्त बरामदगी के आधार पर भी इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने पहले मृतका के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन की कहानी अत्यंत असंभावित प्रतीत होती है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 05.01.2026 से जेल में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या है तथा हत्या करने से पहले आवेदक ने मृतका के साथ बलात्कार भी किया था। यहाँ तक कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी यह पता चलता है कि मृतका के कपड़ों पर मानव शुक्राणु पाए गए थे। हालांकि, वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि उक्त कथित शुक्राणु आवेदक के थे, ऐसा दर्शाने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सके कि आवेदक के घर से कथित आभूषणों की बरामदगी, संदेह तथा पुलिस के समक्ष आवेदक के बयान के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
10. यह एक विचित्र मामला है, जिसमें सबसे पहले मृतका की माता ने मृतका के ससुराल वालों और उसके पति के विरुद्ध दहेज हत्या के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, किंतु जांच के दौरान उसी को इस आधार पर अभियुक्त बना दिया गया कि उसने मृतका की हत्या करने के लिए आवेदक, जो उसका समधी है, के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था।
11. आगे, अभियोजन के अनुसार, आवेदक मृतका को अपने साथ ले जाने के बाद पहले उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। अभियोजन के अनुसार, जिस कमरे में आवेदक रहता था, उसी कमरे से मृतका के कुछ आभूषण भी बरामद किए गए थे। यह भी परिलक्षित होता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतका के अधोवस्त्र पर मानव शुक्राणु भी पाए गए थे। किंतु यह परिलक्षित होता है कि आवेदक को वर्तमान मामले में सह-अभियुक्त यासमीन, जो मामले की सूचनाकर्ता अर्थात् मृतका की माता है, के बयान तथा उसके द्वारा सुनाई गई कहानी के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम दृष्टया उसकी कहानी काल्पनिक प्रतीत होती है और ऐसे कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
12. आगे, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि मृतका के अधोवस्त्र पर पाए गए कथित शुक्राणु आवेदक के थे। इस न्यायालय के सुविचारित मत में, किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में केवल आवेदक के घर से मृतका के कथित आभूषणों की बरामदगी के आधार पर इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतका की हत्या की थी, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि अभियोजन की कहानी किसी विश्वास को उत्पन्न नहीं करती।
13. आगे, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 05.01.2026 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14.अतः ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

15.तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16.अतः आवेदक **रईस अहमद उर्फ फौजी** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17.उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18.यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

04 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।